राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः–एफ–7(76)/रालसा/जे.एस./संस्था–पी.एल.ए./2020/2105 दिनांकः 10.01.2020

स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39/1987) की धारा 22बी में वर्णित अनुसार आमजन से जुड़ी हुई सेवाओं–

1. वायु, सडक या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवाए;
2. डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा;
3. किसी भी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति;
4. लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली;
5. अस्पताल या डिसपेन्सरी में सेवा;
6. बीमा सेवा;
7. बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं;
8. आवासीय सेवाएं;
9. लिक्वीफाईड पेट्रोलीयम गैस सेवा;
10. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओ;
11. आवास और भू सम्पदा सेवाएं।

जन उपयोगी सेवा (Public Utility Services) में आती है, जिनसे संबंधित 01 करोड़ रूपये तक की मालियत के प्रकरण सुनवाई हेतु प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालत (Public Utility Services) गठित की गई है। प्राधिकरण द्वारा मुख्यालय अजमेर, उदयपुर, सिरोही, जयपुर महानगर, कोटा एवं बीकानेर में धारा 22बी के तहत् संस्थापित स्थायी लोक अदालतों में, पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद रिक्त हैं अथवा वर्ष 2020 में रिक्त होने की संभावना है, में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों अथवा शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है–

1. जो निम्न अर्हता एवं पात्रता रखते हो–
   - क. सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश संवर्ग अधिकारी, जो दिनांक 01.01.2018 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हों
   - ख. जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवा निवृत्त ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 31.12. 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

2. अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय उम्र 63 वर्ष से अधिक की नहीं हो,
3. उक्त नियुक्ति प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए की जाएगी जिसे सेवाएं सन्तोषप्रद पाये जाने पर प्रारंभिक नियुक्ति के 01 वर्ष को सम्मिलित करते हुए 05 वर्ष तक या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूरी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढाया जा सकेगा।
4. स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष को मानदेय व अन्य सुविधाएं Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons Rules, 2003) के अनुरूप देय होंगी
5. उक्त चयन की प्रक्रिया माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर साक्षात्कार द्वारा पूर्ण की जावेगी और साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का टीए/डीए देय नहीं होगा। चयन का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन होगा।
6. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उसका किसी भी जन उपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नहीं हो।
7. सेवारत न्यायिक अधिकारी अपना आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रस्तुत करें। वे आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना आवेदन समय रहते माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित करें।
8. पात्रता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट www.rlsa.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
9. आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावे।
10. नियुक्ति से संबंधित शर्ते व नियम प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 07.02.2020 है। इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात् (सायं 05.00 बजे के पश्चात्) प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

D/Rakesh Ji/Lok Adalat All file/PLA Advertisement

आवेदन–पत्र

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थाई लोक अदालत अजमेर, उदयपुर, सिरोही, जयपुर महानगर (जुलाई 2020 में रिक्त होने), कोटा (जून 2020 में रिक्त होने) एवं बीकानेर (नवम्बर, 2020 में रिक्त होने) में पूर्णकालिक अध्यक्ष, के रिक्त पद अथवा वर्ष 2020 में रिक्त होने की संभावना है, पर पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु।

पासपोर्ट साइज का नवीनतम स्व–हस्ताक्षरित फोटो चिपकाये

1. आवेदक का नाम
   हिन्दी में ....
   अंग्रेजी में ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम ....
3. जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में) ....
   ....
4. गृह जिला ....
5. स्थायी निवास का पता ....
   ....
   (टेलीफोन नम्बर) ....
6. वर्तमान निवास का पता ....
   ....
   (टेलीफोन नम्बर) ....
7. मोबाईल नम्बर ....
8. ई-मेल एड्रेस ....
9. कार्यालय का पता ....
10. शैक्षणिक योग्यतायें (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित) :–

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

11. न्यायिक सेवा में प्रवेश की तारीख ....
12. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए) ....
13. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्त आवेदक के लिए) ....
14. सेवानिवृति की दिनांक ....
    (सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
15. वेतन श्रृंखला एवं मूल वेतन (वर्तमान या अंतिम आहरित) ....

16. गत 10 वर्षों का/ सेवा के अंतिम 10 वर्षों का न्यायिक सेवा का कार्य अनुभव–

क्र.संख्या	न्यायालय या धारित पद का नाम	अवधि (कब से कब तक)	सम्पादित कार्य की प्रकृति
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

17. विधिक सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से लोक अदालत से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण ....
....

18. वकालत का अनुभव–

न्यायिक सेवा में प्रवेश से पूर्व.............वर्ष

सेवानिवृत्ति के पश्चात् ....वर्ष

19. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण ....
(सेवानिवृत्त आवेदक के लिए)

20. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी है? हाँ/नहीं

21. क्या आवेदक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न हुई है? हाँ/नहीं

22. यदि आवेदक के विरूद्ध सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई भी विभागीय जांच या प्रारम्भिक जांच की गई हो या लम्बित हो, या दण्डित किया गया हो तो उसका विवरण दें।

23. यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया गया हो, तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पत्नी .... घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य हैं तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

नोट : आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति आदेश की स्व–सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं।